

**हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,  
एस.डी.ए. कर्मशियल कम्प्लेक्स, ब्लॉक नम्बर 16-17,  
कसुम्पटी, शिमला-171009**

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह **April**, 2010 के लिए एक लीटर पाउच पैक में सोया रिफाईण्ड ऑयल की पन्द्रह लाख (15,00,000) पाउच पैक की खरीद हेतु प्रदेश में स्थित निगम के विभिन्न गोदामों के लिए आपूर्ति हेतु मोहरबन्द निविदायें मु० 22,50,000/- रुपए (मु. बाईस लाख पच्चास हजार रुपये) की धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ आमन्त्रित की जाती है। यदि किसी निविदक की निविदा दरें सबसे कम पाई जाती है और उसने आंशिक आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की है तो ऐसी स्थिति में निविदक को एक रुपये पच्चास पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जितने लीटर खाद्य तेल वह आपूर्ति कर सकता है उतनी राशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा परन्तु यह मात्रा एक लाख लीटर से कम नहीं होगी। बैंक ड्राफ्ट हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के पक्ष में बना हो और शिमला के किसी अधिसूचित बैंक में देय होना चाहिए। यह मात्रा अनुमानित है तथा यह घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। यह निविदायें निगम के कसुम्पटी स्थित मुख्यालय में 08.03.2010 को 11.00 बजे तक पहुँचनी अनिवार्य है। 11.00 बजे पूर्वहान के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। तकनीकी निविदाओं को उसी दिन 11.30 बजे पूर्वाह्न खोला जाएगा जबकि वित्तीय निविदाएं उसी दिन 12.00 बजे दोपहर को उन निविदा-दाताओं के सामने खोली जायेगी, जो उपस्थित होना चाहेंगे। निगम के **Website:www. Himapurti.com** से प्राप्त किए गए निविदा प्रपत्र को तभी वैध माना जाएगा जब निविदक इस निविदा प्रपत्र की कीमत मु० 500/- रुपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ संलग्न करेगा या 500/- रुपये नगद रूप में निविदायें बंद होने से पहले निगम के मुख्यालय में जमा करवा देगा।

**निविदा की शर्तें एवं नियम:-**

1. निविदाएं दो प्रकार के लिफाफों में होनी चाहिए। एक लिफाफे में **Technical bids** होनी चाहिए, जिसके भीतर वांछित दस्तावेजों की प्रतियां तथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट होने चाहिए। इस bid के अन्तर्गत खाद्य तेल के नमूने अलग से प्राप्त किए जायेंगे। जिन निविदा-दाताओं की **Technical bids** सही पायी जाएंगी केवल उन्हीं की **Financial bids** खोली जाएंगी (बैंक लिस्ट संलग्न)। दूसरे लिफाफे में **Financial bids** होनी चाहिए, जो संलग्न फार्म पर ही स्वीकार की जाएगी जोकि निविदक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त/अधिकृत किसी सक्षम-अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। **Technical bids** और **Financial bids** के सील बन्द लिफाफे अलग-अलग लिफाफों में बन्द होने चाहिए।
- 2- तमाम पाउच पर तोल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बन्द नियमों के अन्तर्गत सभी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए जैसे Name & full address of manufacturer/Packer, Name of Commodity, Net weight, Retailsale Price of commodity and month & year of Packing of commodity.
3. निविदा-दाताओं को खाद्य तेल के दो नमूने पहचान चिन्हों सहित उपलब्ध करवाने होंगे। बिना नमूनों के निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। एक निविदक को एक वस्तु के लिए तथा एक जैसी गुणवत्ता के लिए निविदा में एक ही दर प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। सफल निविदा-दाता को अनुमोदित नमूने के 12 सैम्पल उसी दिन उपलब्ध करवाने होंगे।
- 4.i) उपरोक्त सोया रिफाईण्ड तेल की दरें एफ.ओ.आर और निगम के भिन्न-भिन्न गोदामों के लिए सभी टैक्सों सहित (VAT) एक ही दर स्वीकार की जायेगी। जो निविदक अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय शासित राज्यों से सम्बन्धित होंगे और वे बिलिंग हिमाचल प्रदेश के बाहर से करेंगे तो उन्हें खाद्य तेलों का भुगतान हि.प्र. का 4 प्रतिशत VAT काटकर भुगतान किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को खाद्य तेल की आपूर्ति हेतु **despatch plan** निगम द्वारा जारी किया जाएगा और खाद्य तेलों की आपूर्ति निगम द्वारा सूचित की गई **Preference** के आधार पर तुरन्त पूर्ण करनी होगी।
- ii) Loading at station of dispatch will be the responsibility of the firm and un-loading and stacking at consignee's end in case of delivery by Rail/Road will be arranged by the concerned consignee/DDO.

5. प्रतिभूति राशि आपूर्ति के सफल रूप से पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी 1 परन्तु प्रतिभूति राशि पर पार्टी को किसी प्रकार का व्याज अदा नहीं किया जाएगा 1
6. सफल निविदा-दाताओं को खाद्य तेल की आपूर्ति, आपूर्ति-आदेश की प्राप्ति के दस (10) दिनों के भीतर आपूर्ति-आदेश की कुल मात्रा का 25% तथा अगले सात (7) दिनों में 35% और शेष छः (6) दिनों में बकाया 40% आपूर्ति सभी गोदानों तक पूरी करनी होगी अन्यथा उपरोक्त के अनुसार आपूर्ति न की गई मात्रा की राशि पर 1% प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 2% liquidity charges वसूल किये जाएंगे । यदि फिर भी आपूर्तिकर्ता द्वारा खाद्य तेल की आपूर्ति पूरी नहीं की जाती है तो उसका आपूर्ति-आदेश रद्द किया जा सकता है तथा आपूर्तिकर्ता को ब्लैक-लिस्ट करने के साथ-2 उसकी धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार भी राज्य स्तरीय कय समिति को होगा 1
7. खाद्य तेल की अधिक मात्रा व पैकिंग कार्य को देखते हुए अगर L-1 कम मात्रा के लिए दरें प्रस्तुत करता है और L-1 पाए जाने के उपरान्त वह रिफाईन्ड तेल की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है तो कमेटी L-1 के अनुरोध को मानने बारे विचार कर सकती है और शेष मात्रा को देखते हुए जिसकी भी कम दरें होंगी, उनकी क्षमता तक L-1 की दर पर आपूर्ति लेने के लिए कमेटी बातचीत करेगी और अगर L-1 की दरों पर सहमति न बने तो उन द्वारा दी गई दरों पर आपूर्ति-आदेश देने पर कमेटी विचार कर सकती है 1 इस प्रकार जिनको भी आपूर्ति-आदेश जारी किये जाते हैं यदि निर्धारित अवधि तक आपूर्ति पूरी नहीं करते हैं तो उनके Risk & Cost पर आपूर्ति करवाई जाने तथा उस पर हुए अतिरिक्त खर्चों को धरोहर राशि व उनके देय भुगतान में से काटने का पूरा अधिकार राज्य स्तरीय कय समिति को होगा । परन्तु कय समिति निविदा की तिथि को PEC Ltd., दिल्ली की दरों का भी अवलोकन करेगी और यदि PEC Ltd., दिल्ली की दरें निविदा दरों की तुलना में कम पाई जाती है और स्टॉक भी उपलब्ध होंगे तो कमेटी रिफाईन्ड ऑयल की खरीद PEC Ltd., दिल्ली के माध्यम से करने बारे प्राथमिकता देगी और निविदा दरों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
8. तकनीकी निविदा में निविदा-दाता का रिफाईन्ड तेल के व्यापार क्षेत्र में अनुभव व पैकिंग की व्यवस्था, पिछले तीन वर्षों के रिफाईन्ड तेल के व्यापार में किया गया वर्ष-बार कुल कारोबार इत्यादि की सूचना सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे 1 इसके अतिरिक्त अपने उत्पाद बारे विवरण, फैंक्ट्री की स्थिति, उत्पादन क्षमता व Turnover आदि का व्यौरा भी उपलब्ध करवाना होगा 1 प्रत्येक निविदा-दाता को निविदा के साथ फैंक्ट्री की स्थिति और उत्पादन क्षमता के दस्तावेज शपथ पत्र (Affadavit) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे । जिन पार्टियों ने उक्त दस्तावेज शपथ पत्र सहित दिनांक 10.11.2008 या उसके बाद निगम के मुख्यालय में जमा करवा दिए हैं उन्हें यह दस्तावेज दोबारा जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त सोया रिफाईन्ड ऑयल की लेवोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट (ब्राण्ड नाम सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगी जिसका Specimen इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है । लेवोरेट्री रिपोर्ट में रिफाईन्ड ऑयल का बैच न0 और उत्पादन की तिथि नमूने के साथ मेल रखती हो अन्यथा निविदा को तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया जाएगा । सम्बन्धित Lab सरकार द्वारा किस पत्र के तहत अनुमोदित की गई है और इसकी Validity कब तक है, की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है 1 इसके अतिरिक्त सम्बन्धित लेवोरेट्री की वैधता निविदा खुलने की तिथि तक वैध होनी चाहिए 1 उन फर्मों को उक्त रिपोर्ट के साथ तकनीकी निविदा में निर्धारित धरोहर राशि और सोया रिफाईन्ड ऑयल के नमूने उपलब्ध करवाने होंगे । जिन पार्टियों की Lab Report संलग्न Specimen के अनुसार नहीं होगी उनकी निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा 1
9. आपूर्तिकर्ता को खाद्य तेल का 90% भुगतान निगम के मुख्यालय द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा की प्राप्ति की पुष्टि सैम्पल के अनुसार करने के उपरान्त निगम के मुख्यालय द्वारा की जायेगी शेष 10% का भुगतान मूल बिलों के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों से सत्यापित होने के पश्चात मुख्यालय द्वारा किया जाएगा 1 यदि किसी स्थान पर खाद्य तेलों की गुणवत्ता तथा मात्रा में अनुमोदित नमूने से भिन्नता पाई जाती है तो आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर उस आपूर्ति को एक सप्ताह के भीतर बदलना होगा 1 इस क्षति को पूरा करने के लिए अनुमोदित सैम्पल से भिन्न पाई गई मात्रा की राशि का 20% आपूर्तिकर्ता से दण्ड के रूप में वसूला जाएगा 1 आपूर्ति न बदलने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से खाद्य तेल के मूल्य के बराबर राशि उसके भुगतान से काट ली जाएगी 1 फिर भी यदि आपूर्ति बदलने के उपरान्त आपूर्ति किए गए खाद्य तेलों की गुणवत्ता तथा मात्रा में अनुमोदित नमूने से भिन्नता पाई जाती है तो कम गुणवत्ता वाली खाद्य तेलों की मात्रा को राज्य स्तरीय कय समिति जब्त कर सकता है और आपूर्तिकर्ता को इसका भुगतान रोका जा सकता है व धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है 1 यदि ट्रक लोड बनाने बारे आपूर्तिकर्ता कुल आपूर्ति-आदेश का 1% तक अधिक आपूर्ति करता है तो उस आपूर्ति को नियमित कर दिया जाएगा 1
10. निविदाक केन्द्रीय एवं सामान्य बिक्री कर के पंजीकरण की प्रति भी उपलब्ध करवायेगा इसके अतिरिक्त खाद्य तेलों की, जिसकी दरें निविदा में भरी होगी की Test Report सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला की होनी चाहिए और मूल रूप में संलग्न करनी होगी 1

11. खाद्य तेलों की शुद्धता एवम् गुणवत्ता के लिए आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेवार होगा 1 PFA के तहत अगर कोई सैम्पल भरा जाता है और PFA के अन्तर्गत भरा सैम्पल फेल हो जाता है तो आपूर्तिकर्ता पूर्णरूप से जिम्मेवार होगा और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इसके लिए किसी प्रकार से भी जिम्मेवार नहीं होगा 1 पाउच पैक की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होनी चाहिए 1 यदि निगम खाद्य तेल का किसी लेवोरेट्री से विश्लेषण करवाता है तो उसका खर्चा पार्टी से वसूल किया जाएगा 1
12. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी 1
13. राज्य स्तरीय कय समिति खाद्य तेल की अच्छी किस्म व गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं में उसकी ब्राण्ड लोकप्रियता व माँग को मध्यनजर रखते हुए किसी भी अन्य ब्राण्ड के खाद्य तेल को किसी भी दर पर कय करने के लिए पूर्ण अधिकृत है 1 खाद्य तेलों के स्थानीय उत्पादनकर्ताओं को कुल आपूर्ति की मात्रा का 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरों पर आपूर्ति के लिए अधिमान दिया जा सकता है परन्तु स्थानीय उत्पादनकर्ता उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए 1
14. उपरोक्त निविदाओं/आपूर्ति में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रधान सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश सरकार मध्यस्थ होंगे तथा इस मामले में उनका निर्णय अन्तिम होगा 1
15. उपरोक्त निविदायें/आपूर्ति केवल शिमला राजस्व जिला के न्यायिक अधिक्षेत्र के अन्तर्गत ही मानी जायेगी 1
16. आपूर्तिकर्ता को एक लीटर पाउच पैक पर "H.P. Govt. Supplies on subsidised rates एवं हि.प्र. सरकार द्वारा अनुदान पर तथा Net Weight 1 Ltr. when packed और MRP ₹0 40/- per Ltr. with all taxes अंकित करना होगा" 1 इसके अतिरिक्त सभी पैक पर तोल एवं माप अधिनियम व डिब्बा बन्द वस्तु नियमों के अन्तर्गत सभी सूचनाएं अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए 1
17. खाद्य तेलों की पैकिंग गत्ते की ऐसी पेटियों में होनी चाहिए जिसमें माल खराब न हो 1 अगर माल उतारते समय गत्ते की पेट्टी टूटी हुई पाई जाती है तो ऐसी गत्ते की पेट्टी को माल सहित आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाएगा 1
18. प्रबन्ध निदेशक हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम शिमला किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं 1
19. अनुदानित वस्तुओं की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई कय समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी पार्टी की निविदा को पिछली performance उपयुक्त न होने के आधार पर अस्वीकार कर सकती है 1

मैं ..... जो कम्पनी/फर्म का एक .....है,.....  
 उपरोक्त नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ तथा इन्हें मानते हुए ही यह निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

**निविदक अथवा उसके प्राधिकृत  
 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

## Check List of Technical Bid Envelope

1. Bank draft of earnest money as per terms & conditions.
2. Samples of the tendered item. (Collected separately).
3. Authorisation letter to sign the tender document.
4. Technical bid should be duly signed by authorised signatory.
5. Copy of the Trade Licence and GST, CST and VAT registration.
6. Original Test report of Refined Oils from a approved Laboratory along-with copy of letter whereby the Laboratory approved by the Government and required affidavit as per term & condition No. 8.
7. Registration Certificate with Industries Department of Himachal Pradesh with validity for local Manufacturers, if any.

PROFORMA FOR FILLING IN RATES FOR THE SUPPLY OF EDIBLE OILS.

Name of Party \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sr. No.	Name of item	Brand Name	Rates (FOR destination and inclusive of all taxes including HP Sales Tax/VAT)
1	Soya Refined oil 1 ltr. pouch pack		

**Signature of the supplier or his  
Authorized representative**

Note:-

1. One single pooled rate for each brand/ packing should be quoted for all the destinations, separate rates for separate destinations will not be acceptable.
2. List of Destinations enclosed.

**REVISED SPECIMEN OF LABORATORY TEST CERTIFICATE IN RESPECT OF REFINED OIL.**

**TEST RESULTS**

**(As per PFA Act 1995 for Refined Soyabean Oil)**

**BRAND NAME:** \_\_\_\_\_

**BATCH NO.** \_\_\_\_\_

**MONTH OF PACKING:** \_\_\_\_\_

SR. NO.	TEST	OBSERVED VALUE	SPECIFIC REQUIREMENT	CONFORMITY	PROTOCOL
1.	Description	The given sample is clear, free from rancidity, suspended matter or other foreign matter and separated water	The sample shall be clear, free from rancidity, suspended matter or other foreign matter and separated water.		
2.	Test for added colouring matter		Negative		
3.	Test for mineral oil		Negative		
4.	Test for argemone oil		Negative		
5.	Refractive index at 40°C or BR Reading at 40°C		1.4649-1.4710 or 58.5-68.0		
6.	Saponification value		189-195		
7.	Iodine Value (Wijs)		120-141		
8.	Unsaponifiable matter, % by mass		1.5 Max.		
9.	Acid Value		0.25 Max.		
10.	Phosphorus, % by mass		0.02 Max.		
11.	Moisture		0.1 % Max		

**Certificate:** The given sample conforms to PFA Act 1995 for Refined Soyabean oil with respect to above tests only.

**HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED**  
**(A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)**  
**LIST OF GODOWNS/REQUIREMENT OF SOYA REFINED OIL 1 LTR.POUCH PACK**

S.No.	Destination	Soya Refined Oil One Ltrs pouch pack approximate quantity. (Qty in Ltrs )
<b>Distt. Sirmour</b>		
1	Nahan	18250
2	Poanta Sahin	31500
3	Shillai	5375
4	<b>Rajgarh</b>	10750
5	Dadahu	6250
6	Sarahan	8625
7	Nauradhar	2125
8	Haripurdhar	2125
9	Kaffota	4250
10	Kupvi (of Shimla District.)	1750
<b>Total</b>		<b>91000</b>
<b>Distt. Mandi</b>		
1	Mandi	38000
2	Joginder Nagar	21875
3	Sarkaghat	31125
4	Chowki	3250
5	Ner Chowk	26250
6	Sunder Nagar	27375
7	Karsog	21875
8	Dharampur Longni	10000
9	Baldwara	12875
10	Balichowki (Mandi)	13750
11	Ladbharol	7250
12	Chailchowk	14500
13	Sandhole	4500
14	Nihri	2375
15	Thunag	8000
16	Padhar	8000
17	Barot	3600
<b>Total</b>		<b>254600</b>
<b>Distt. Kullu</b>		
1	Kullu	18750
2	PatliKuhai	16875
3	Bhunter	18250
4	Anni	12875
5	Nirmand	11250
6	Dhaman	5350
7	Banjar	8350
<b>Total</b>		<b>91700</b>
<b>Distt. Solan</b>		
1	<b>Solan</b>	16100
2	Dharampur	25000
3	Arki	18500
4	Kandaghat	7800
5	Nalagarh	26200
6	Ramshehar	10000
<b>Total</b>		<b>103600</b>
<b>Distt. Bilaspur</b>		
1	Bilaspur	24100
2	Ghumarwin	35600
3	Shri Naina Devi Ji	10000
4	Jandhuta	22100
<b>Total</b>		<b>91800</b>
<b>Distt. Chamba</b>		
1	Chamba	38000
2	<b>Chowari</b>	5850
3	Tissa	12850
4	Banikhet	11600
5	Sihunta	7500

6	Sundla	7500
7	Bharmour	4100
8	Kharamukh	3350
9	Holi	3750
10	Salooni	6600
<b>Total</b>		<b>101200</b>
<b>Distt. Una</b>		
1	Una	40200
2	Amb	21200
3	Bangana	11700
4	Gagret	22000
5	Haroli	17800
<b>Total</b>		<b>112900</b>
<b>Distt. Kangra</b>		
1	Dehra	20375
2	Ranital	16500
3	Chaitru	38750
4	Darri (D/shala)	17100
5	Nagrota Bagwan	30500
6	Maranda (Palampur)	27875
7	Nurpur	26600
8	Rehan	28750
9	Paprola	20375
10	Panchrukhi	17100
11	Lambagaon	12100
12	Dheera	9100
13	Pragpur	18000
14	Nagrota Surian	10750
15	Thural	9100
16	Jorbar	13750
17	Bhadwar	9375
18	Khundian	8200
19	Kandrori	21600
<b>Total</b>		<b>355900</b>
<b>Distt. Hamirpur</b>		
1	Badsar	21250
2	Tarkwari	12350
3	Hamirpur	17500
4	Nadaun	27850
5	Sujanpur Tihra	10750
6	Patta	15850
7	Panjot	7250
8	Bhoni	6200
<b>Total</b>		<b>119000</b>
<b>Distt. Shimla</b>		
1	<b>Bhattakuffer</b>	20000
2	Theog	16600
3	Jubbal	8700
4	Rohru	11000
5	Rampur	23000
6	Chopal	4800
7	Shimla Town	26750
8	Gumma	9000
9	Nerwa	7850
10	Narkand	12000
11	Nankhari	4600
12	Tikkar	4500
13	Chirgaon	7750
<b>Total</b>		<b>156550</b>
<b>Distt. Kinnaur</b>		
1.	Tapri + Kaza at Tapri	10850
2.	Bhawanagar	4400
3.	Reckong Peo	3800
4.	Pooh + Chango at Pooh	2800
<b>Total:</b>		<b>21850</b>
<b>Grand Total</b>		<b>15,00,000 Ltrs.</b>